फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री गौरव बनौधा पुत्र श्री ललित बनौधा
निवासी विकास नगर वार्ड सं.5
आबूपर्वत जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 08 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.01.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 13.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सन् 1986 में न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही में पेश निगरानी संख्या 118/86 में भूखण्ड की चतुर्दशी व माप एवं उक्त भूखण्ड पट्टे पर न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित निर्णय की प्रति एवं निगरानी संख्या 118/86 की जिला कलक्टर सिरोही की निगरानी रिपोर्ट से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 18 दिनांक 04.01.2021 का अध्ययन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 13.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सन् 1986 में न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही में पेश निगरानी संख्या 118/86 में भूखण्ड की चतुर्दशी व माप एवं उक्त भूखण्ड पट्टे पर न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित निर्णय की प्रति एवं निगरानी संख्या 118/86 की जिला कलक्टर सिरोही की निगरानी रिपोर्ट से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही का उपरोक्त रेकर्ड निगरानी संख्या 118/86 वर्ष 2008 में विडिंग हो चुका है एवं सूचना 20 वर्ष के ऊपर की है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(3) के तहत सूचना प्रकट किए जाने से छूट में आता हैं। अतः सूचना दिया जाना सम्भ[illegible] अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.05.12 16:38:51 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner